THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) Yes Sir. The results of experiments carried out during the second expedition were confirmed by the third expedition team.

(c) The experiments conducted during the second expedition have been continued during the third expedition in the fields of meteorology, upper atmospheric physics, geology, biology, micro-biology radio-wave communication and glaciology.

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गये परिवार

1122. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) अब तक कितने परिवारों को गरीबी की रेखा पार करने के लिये सहायता दी गई है ; और

(घ) "गरीबी की रेखा" की वर्तमान परिभाषा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) योजना तैयार करने संबंधी कार्य में गरीबी के अनुमान व्यक्तियों के आधार पर लगाये जाते हैं परिवारों के आधार पर नहीं। गरीबी की रेखा से नीचे रहन वाले लोगों के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। 1977–78 में किये गये सर्वेक्षण पर आधारित राज्यवार अनुमान छठी पंचवर्षीय योजना क दस्तावेज में दिये गये हैं। बाद में सर्वेक्षण वर्ष 1983 में किया गया था और इसके परिणाम अभी तक प्राप्त होने हैं। इसलिये गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में वर्ष 1977–78 के बाद राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं है। छठी योजना की अवधि में गरीबी की रेखा से ऊपर आने वाले व्यक्तियों से संबंधित कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। वर्ष 1980–1984 की अवधि में उत्तर प्रदेश के 27.37 लाख परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई थी जो कि गरीबी दूर करने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों मे से एक है।

(घ) गरीबी की रेखा को उस वर्ग के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के मध्य बिन्दु के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका दैनिक कलोरी उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कलोरी है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है।

Dacoities in Delhi

1123. SHRI M. BASAVARAJU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of dacoities which were committed in residential premises and banks separately in Delhi during the period from the 1st January, 1983, to the 30th June, 1984;

(b) the number of docoities which were committed on the high ways of Delhi during the same period and

(c) the nunmber of cases in which culprits have been arrested, prosecuted and punished?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) During the period from Ist January, 1983 to 30th June, 1984 there have been 29

cases of dacoity in residential premises and 4 cases of dacoity in banks in Delhi.

(b) During the same period there have been two cases of dacoity on the high-ways of Delhi.

(c) 20 of these 35 cases have been worked out and 98 persons arrested. Challans have been put in the court in 15 of these cases and the same are pending trial.

Availability of Approach Paper to Press Correspondents

1124. SHRI BISWA GOSWAMI:
SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA:
DR. SHANTI G. PATEL:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Information Officer attached to his Ministry distributed copies of the 'Approach Paper' to the Seventh Plan, 1985-90 which was discussed at the meeting of the National Development Council to some selected correspondents only;

(b) whether it is also a fact that this facility was denied to some other correspondents who asked for it; and

(c) if so, what are the reasons for this discrimination?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir. The documents 'Approach to the Seventh Five Year Plan 1985—90' was distributed to all accredited correspondents who attended the press conference addressd by the Union Minister of Planning after the NDC meeting on the 13th July, 1984 at 3.30 P.M. in Yojana Bhavan. The invitation to the Press Conference was extended to all the accredited correspondents. No copies of the document were distributed before the conference.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

मुरादाबाद दंगे सबन्धि न्यायिक जाच आयोग का प्रतिवेदन

1125. श्री सत्य प्रकप्र मालवीय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1980 में मुरादाबाद में हुये सांप्रदायिक दंगों के कारणों का पता लगाने के लिये गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब प्राप्त हुआ और इसके प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने इस जांच-आयोग को नियुक्त नहीं किया है । जांच-आयोग अधिनियम 6952 की धारा 3 की उप-धारा (4) में यह व्यवस्था है कि उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये आयोग की यदि कोई रिपोर्ट है, तो उपयुक्त सरकार को इसे और इस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा, जो भी हो, के समक्ष आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने के अन्दर रखना होगी । इस प्रकार रिपोर्ट और उस पर की गई कारवाई को केवल संबंधित राज्य की विधान सभा के पटल पर रखना होगा ।

उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे निकायों को विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के अधीन प्राप्त वित्तीय सहायता

1126. **श्री सत्यप्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों, कालेजों